रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2001/ज्येष्ठ 30, 1923

No. 159] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2001/JYAISTHA 30, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2001

सं. टीएएमपी/54/2000-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार पत्तन रेलवे के स्थायी बुलाई प्रभारों के संशोधन के संबंध में विशाखापटनम् पत्तन न्यास के प्रस्ताव का निपटान करता है।

अनुसूची

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं0 टीएएमपी/54/2000 - वीपीटी

विशाखापटनम पत्तन न्यास (वीपीटी) ..... याचिकाकर्ता

आदेश

(12 जून, 2001 को पारित)

भूतल परिवहन मंत्रालय ने अपने 25 अप्रैल,2000 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि विधि के स्पष्ट उपबंध के अनुसार महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) पत्तन रेलवे प्रभारों के संबंध में निर्णय करने की शक्ति प्राप्त एक मात्र संबंधित प्राधिकारी होगा , और टीएएमपी द्वारा निर्धारित दरों को राजपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा ।

2.1 विशाखापटनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के पत्तन रेलवे प्रभारों के संबंध में जून 2000 में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया और इस परिप्रेक्ष्य मे उसकी जॉच की गई । प्रस्ताव मे मुख्य रूप से निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं :-

(i) वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने 30 मार्च 95 को हुई बैठक में पूर्वी क्षेत्र के खुले टर्मिनलों मे स्थानीय ढुलाई प्रभारो में 110 % तक की वृद्धि और पश्चिमी क्षेत्र के खुले टर्मिनलों मे स्थानीय ढुलाई प्रभारों मे 25% तक की कमी करने का अनुमोदन किया ।

(ii) रेलवे बोर्ड ने अपने 14 अगस्त 97 के पत्र द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया और 1 सितंबर, 1997 से संशोधित दरों को प्रभावी बनाया ।

(iii) इस स्थिति मे संशोधित दरो को राजपत्र में प्रकाशित करने का सवाल उठा । तदनुसार, मामला सरकार के पास भेजा गया ।

(iv) सरकार (भूतल परिवहन मंत्रालय) ने स्पष्ट किया कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ही इस मामले में निर्णय करने के लिए एकमात्र संबंधित प्राधिकारी होगा ; और महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों को राजपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा ।

(v) रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरे 1 सितंबर, 97 से लागू हो गई है ।

2.2 तदनुसार वीपीटी ने दरों को (रेलवे बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित) मंजूर करने और 1 सितंबर, 1997 से प्रभावी होने के लिए भारत के राजपत्र मे अधिसूचित करने का अनुरोध किया ।

3. इस विषय से संबंधित कानूनी स्थिति के प्रकाश में वीपीटी के प्रस्ताव की जॉच की गई । इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित मुद्दे विचारार्थ उठे :-

(i) हमारे अनुमोदनार्थ प्रस्तावित दरें रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है और 1 सितंबर, 1997 से प्रचलन मे है ।

(ii) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों को प्रस्ताव की स्वयं संवीक्षा किए बिना अधिसूचित करना प्राधिकरण के लिए उचित होगा ।

(iii) साथ ही, क्या रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों पर कोई निर्णय करना प्राधिकरण के लिए उचित होगा ।

(iv) प्रस्ताव की संवीक्षा करना यदि आवश्यक होता है तो इसमे समय लगेगा । प्रस्तावित दरें चूंकि 1 सितंबर, 1997 से पहले ही लागू की जा चुकी हैं अतः यदि संवीक्षा में उनमें परिवर्तन करना पड़ता है तो उससे पत्तन के लिए परिहार्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और सरकार के लिए मुश्किल होगी ।

(v) ऐसी स्थिति में, क्या रेलवे बोर्ड द्वारा पहले से अनुमोदित दरों को अधिसूचित करना सरकार के लिए अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित नहीं होगा ।

4. प्राधिकरण ने इस मामले पर 26 सितंबर, 2000 को हुई अपनी बैठक में विचार किया । प्राधिकरण ने मत व्यक्त किया कि वीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें जिन पर उसका अनुमोदन मांगा गया है रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दी गई हैं और 1 सितंबर, 97 से प्रचलन में हैं । प्राधिकरण का विचार था कि उसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों को स्वयं संवीक्षा किए बिना अधिसूचित करना उचित नहीं होगा । साथ ही, प्राधिकरण रेलवे बोर्ड द्वारा पहले से अनुमोदित दरों पर कोई निर्णय भी नहीं करना चाहता । रेलवे बोर्ड के संकल्पों का बिना सोचे समझे समर्थन करने से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण पर असमर्थनीय भार पड़ सकता है । प्रस्ताव की स्वयं संवीक्षा करने का अर्थ रेलवे बोर्ड की संवीक्षा का समर्थन करना होगा । इससे प्राधिकरण की स्थिति ऐसी हास्यास्पद हो जाएगी जिसके कारण परिहार्य समस्याएं एवं मुश्किलें पैदा हो जाएंगी । प्रस्ताव की यदि अनिवार्य रूप से संवीक्षा करनी पड़ती है तो इससे समय तो नष्ट होगा ही, प्रचलित दरों में वृद्धि या कमी भी करनी पड़ सकती है । प्रस्तावित दरें चूंकि पहले से लागू है अतः यदि उनमें कोई परिवर्तन करना पड़ता है तो इससे पत्तन के लिए समस्याएं और रेलवे बोर्ड के लिए उलझनें हो सकती हैं । इस स्थिति में, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण ने वीपीटी का प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्णय किया जिससे रेलवे बोर्ड द्वारा पहले से अनुमोदित दरों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा

5 इस निर्णय के अनुसरण मे वीपीटी का प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्णय किया गया जिससे रेलवे बोर्ड द्वारा पहले से अनुमोदित दरों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके । तदनुसार 3 अक्तूबर, 2000 को वीपीटी का प्रस्ताव भारत के राजपत्र मे अधिसूचना के संबंध मे उपयुक्त ध्यान आकर्षित करने के लिए जहाजरानी मंत्रालय को भेजा गया । वीपीटी के अध्यक्ष को भी इस स्थिति से विधिवत अवगत कराया गया ।

6.1 इस संबंध मे न तो जहाज़रानी मंत्रालय से और न ही वीपीटी से अभी तक और कोई पत्राचार हुआ है । संभव है कि वीपीटी जहाज़रानी मंत्रालय से औपचारिक प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो , और इस बात की भी उतनी ही संभावना है कि मंत्रालय ने हमारे 3 अक्तूबर, 2000 के पत्र का सज्ञान ही न लिया हो और मामले को इस प्राधिकरण द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार निपटाने के लिए छोड़ दिया हो । वास्तव मे यदि ऐसी स्थिति है तो वीपीटी का प्रस्ताव दो कार्यालयो के बीच ही (धोबी का कुत्ता न घर का न घाट की स्थिति में) झूलता रहेगा ।

6.2 अतः इस परिप्रेक्ष्य में मामले पर पुनर्विचार करने पर हमारा मत है कि प्राधिकरण के लिए इस मामले का इस रीति से निपटान करना उपयुक्त या उचित नहीं होगा जिस रीति से जहाज़रानी मंत्रालय को मात्र एक पत्र भेजकर किया गया है । यहाँ यह बात ध्यान रखनी-होनी कि वीपीटी का प्रस्ताव मामले के रूप मे दर्ज हो चुका है । महापत्तन अधिनियम की धारा 50 (ग) के उपबंध के अनुसार इस अधिनियम के अनुपालन मे प्राधिकरण द्वारा जारी प्रत्येक आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करना होगा ।

7. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से हम वीपीटी के प्रस्ताव का सरकार को औपचारिक अतरण करने के लिए यह आदेश जारी करके मामले को बंद करते हैं ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2001/असा०]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2001

No. TAMP/54/2000-VPT.— In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Visakhapatnam Port Trust about the revision of Local haulage charges of Port Railway as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/54/2000-VPT

The Visakhapatnam Port Trust (VPT) **Petitioner**

ORDER

(Passed on this 12th day of June 2001)

The Ministry of Surface Transport had, vide its letter dated 25 April 2000, informed that, in view of the express provision of the law, the TAMP would be the only concerned Authority empowered to decide port railway charges; and, it would be compulsory to publish the rates fixed by the TAMP in the official Gazette.

2.1. The proposal received from the VPT in June 2000 relating to its port railway charges was entertained and examined in this backdrop. The proposal contained in the main the following submission:

(i). The Board of Trustees of the VPT in its meeting held on 30 March 95 approved enhancement of the local haulage charges in open terminals of the Eastern Sector by 110% and reduction of the local haulage charges in open terminals of the Western Sector by 25%.

(ii). The Railway Board approved the proposal vide its letter dated 14 August 97 and made the revised rates effective from 1 September 1997.

(iii). At this stage, a question arose about publication of the revised rates in the Gazette. Accordingly, the matter was referred to the Government.

(iv.) The Government (in the MOST) clarified that the TAMP would be the only concerned Authority to decide the matter; and, it would be compulsory to publish the rates fixed by the TAMP in the official Gazette.

(v). The rates approved by the Railway Board have been implemented with effect from 1 September 97.

2.2 Accordingly, the VPT requested this Authority to sanction the rates (as approved by the Railway Board) and notify them in the Gazette of India as being effective from 1 September 1997.

3. In the light of the legal position governing the subject, the VPT proposal was examined. In this context, the following issues arose for consideration.

(i). The rates proposed for our approval had already been approved by the Railway Board and have been in vogue since 1 September 1997.

(ii). Will it be appropriate for this Authority to notify the rates approved by the Railway Board without having its own scrutiny of the proposal?

(iii). At the same time, will it be appropriate for this Authority to sit in judgement over the rates approved by the Railway Board.

(iv) A scrutiny of the proposal, if necessarily to be carried out, will involve time. Since the proposed rates have already been implemented with effect from 1 September 97, alteration of them, if our scrutiny warrants, will create avoidable complications for the port and embarrassment to the Government.

(v). Given the situation, will it not be prudent for the Government itself in exercise of its inherent powers, to notify the rates already approved by the Railway Board.

4. This matter was considered by the Authority in its meeting on 26 September 2000. The Authority observed that the rates proposed by the VPT seeking its approval had already been approved by the Railway Board and had been in vogue since 1 September 97. The Authority found that it might not be prudent to notify the rates approved by the Railway Board without having its own scrutiny. At the same time, the Authority also did not like to sit in judgement over the rates already approved by the Railway Board. A blind and casual endorsement of the Railway Board resolutions might cast an indefensible burden on the TAMP. Not having itself scrutinised the proposal, it might be called upon to defend the Railway Board's scrutiny. This could land the Authority in a piquant situation causing embarrassment and (avoidable) hardship. The scrutiny of the proposal, if necessarily to be carried out, would not only involve time but also might lead to reduction or increase in the rates in vogue. Since the proposed rates had already been implemented, any alterations in them, if warranted, would create avoidable complications for the port and embarrassment to the Railway Board. That being so, based on a collective application of mind, the Authority decided to forward the VPT proposal to the Government for notification by it of the rates already approved by the Railway Board.

5. In pursuance of this decision, it was decided to forward the VPT proposal to the Government for notification by it of the rates already approved by the Railway Board. Accordingly, the proposal of the VPT was sent to the Ministry of Shipping on 3 October 2000 for appropriate further attention relating to notification in the Gazette of India. The Chairman of the VPT was also duly apprised of this position.

6.1. There has so far been no further communication in this regard either from the Ministry of Shipping or from the VPT. It is possible that the VPT is waiting for a formal response from the Ministry of Shipping; and, it is equally possible that the Ministry has not taken cognizance of our communication dated 3 October 2000 leaving the matter to be dealt with in terms of the law by this Authority. If this were really to be the position, then, the proposal of the VPT would suffer by falling between two stools.

6.2. Upon a reconsideration of the case in this backdrop, therefore, we see that it will not be adequate or appropriate for the Authority to dispose of this case in the manner in which it has been done i.e. only through a letter to the Ministry of Shipping. It has to be recognised here that the proposal of the VPT had been registered as a case. In terms of the provision in Section 50(C) of the MPT Act, every Order of the Authority made in pursuance of this Act shall be published in the official Gazette.

7. In the result, and for the reasons given above, we pass this Order to formalise the transfer to the government of the VPT proposal, and close this case.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT/III/IV/143/2001/Exty.]

1901 GI/2001—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.